भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1318
03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान
1318. श्री राम शिरोमणि वर्माः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में किसानों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/जिला-वार विशेष रूप से श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों सहित उत्तर प्रदेश के जिलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) देश भर में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनके हित में लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सभी योजनाएं प्रभावी ढंग से कार्यान्वित की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार देश भर में आर्थिक तंगी के कारण किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या की घटनाओं को रोकने में सक्षम रही है; और
(ङ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ङ): भारत सरकार कृषि क्षेत्र की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के साथ-साथ किसानों के हितों और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। ये स्कीमें और कार्यक्रम उत्तर प्रदेश (यूपी) सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों पर प्रयोज्य हैं और इनमें ऋण, बीमा, आय सहायता, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि सहित कृषि संबंधी पूरी गतिविधियां शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय प्रत्येक राज्य के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर चर्चा करता है। चर्चाओं में प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय/राज्य आवश्यकताओं सहित कई मुद्दे शामिल होते हैं। इसके अलावा, चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए धन की शीघ्र अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) को इसमें संशोधन का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, धन की रिलीज राज्यों द्वारा राशि के उपयोग की गति पर निर्भर करती है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के मामले में भी समय पर राशि जारी करने सहित इसी प्रकार की प्रक्रिया लागू की जाती है, जिसमें व्यय विभाग द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के हिस्से की आवश्यकता नहीं होती है।

यह विभाग समय-समय पर विभिन्न मदों के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले बजट के खातों की नियमित निगरानी करता है, ताकि निधियों का अनुकूल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके तथा योजना और कार्यक्रमों के अंतर्गत इच्छित परिणाम या लाभ या उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें।

सरकार की पहलों के अच्छे परिणाम प्राप्त रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों, जिनकी आय में दो गुने से अधिक की वृद्धि हुई है, की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है।

उत्तर प्रदेश सहित देश भर में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:-

केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
6. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
7. एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
8. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन

कृषोन्नति योजना

1. समेकित कृषि विपणन योजना-राष्ट्रीय कृषि बाजार (आईएसएएम-ईएनएएम)
2. समेकित कृषि विपणन योजना-अन्य (आईएसएएम-अन्य)
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन- तिलहन (एनएफ एसएनएम-ओएस)
5. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (एनएम ईओ-ओपी) [यूपी में लागू नहीं]
6. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)
8. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
9. डिजिटल कृषि

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- डीपीआर (आरकेवीवाई-डीपीआर)
2. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
3. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
4. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता
5. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
6. कृषि वानिकी
7. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
8. फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम)
9. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं' (एडीएसआई) नामक शीर्षक से अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं पर जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट, एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है। एडीएसआई रिपोर्ट 2020, 2021 और 2022 में किसानों की आत्महत्या के अलग-अलग कारण नहीं बताए गए हैं। कृषि राज्य का विषय है, अतः आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को प्रतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों की है।

*****